

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 503/985/2019/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 01/07/2019

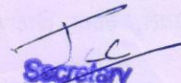
सचिव
सी0बी0एस0ई0
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

राज्य शासन एतद् द्वारा अशासकीय संस्था-**The Foundation of Education, 90 एल0आई0जी0 कॉलोनी हरदा, जिला-हरदा, म0प्र0** को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु **अनापत्ति प्रमाण** पत्र निम्नलिखित शर्तों के आधार पर प्रदान किया जाता है:-

- (1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मण्डल या अन्य बोर्ड से सम्बद्धता मिलने के उपरान्त भी मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की मान्यता नियम, 2017 में दिये गये प्रसूचानों का पालन किया जावेगा।
- (2) प्रदेश में शिक्षण को जो संस्थाएं स्थापित हो चुकी हैं, उनका लाभ प्रदेश के छात्रों एवं माध्यमिक शिक्षा मण्डल को मिल सके इस हेतु संस्था की कार्यकारिणी में म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल के प्रतिनिधि/अधिकारी को नामांकित किया जाये।
- (3) संस्था की प्रबंध कारिणी समिति में म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग का एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी समिति में सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।
- (4) संस्था द्वारा प्रवेश संबंधी नियम प्रक्रिया तथा निर्धारित शुल्क यथा-समय प्रकाशित किये जायेंगे। शिक्षण शुल्क लेने में पालकों का शोषण नहीं किया जायेगा।
- (5) संस्था विभिन्न अवसरों पर छात्रों के आयोजित होने वाले सांस्कृतिक एवं खेलकूद कार्यक्रम तथा अन्य छात्र-शिक्षकों की गतिविधियों के लिये खेल का मैदान, छात्रावास भवन की सुविधा आदि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेंगे। इस हेतु संस्था से वचन पत्र लिखा जाये।
- (6) संस्था द्वारा प्रदेश के खेल आयोजनों, सांस्कृतिक आयोजनों, विज्ञान मेले आदि के आयोजन में सहयोग एवं सार्थक भूमिका प्रदान की जावेगी।


Principal
The Foundation of
Education, Harada


Secretary
Sarswati Devi Kanwa
Sikshar Samiti, Harada

निरन्तर...2

//2//

- (7) निःशक्त छात्रों के लिये संस्था को रेम्प की व्यवस्था करना आवश्यक होगा। संस्था निःशक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी। इस संबंध में प्राप्त शिकायत यदि सिद्ध पाई गई तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र समाप्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (8) छात्र-छात्राओं को शालाओं में लगने वाले पुस्तके एवं लेखन सामग्री खुले बाजार से कय करने की सुविधा रहेगी। किसी दुकान विशेष से कय करने की बाध्यता नहीं रहेगी।
 - (9) संस्था के छात्रों को उनके निवास से विद्यार्जन तक लाने एवं वापिस भेजने के लिये परिवहन विभाग द्वारा दी गई अनुमति प्राप्त एवं वैद्य वाहनों का ही उपयोग किया जायेगा। छात्रों की सुरक्षा की दृष्टि से इस हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों को किसी भी ऐसे ज्वलनशील साधन जैसे घरेलू एलपीजी आदि से संचालित नहीं किया जायेगा।
 - (10) शिक्षण संस्था में मानव उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि-शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था की जाएगी तथा इस संबंध में भारत सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में समय-समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन भी करना होगा।
 - (11) छात्रों की सुरक्षा तथा परिवहन के संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग व परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
 - (12) संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेद-भाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जायेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेगी।
 - (13) संस्था के संचालन में अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को संस्था का निरीक्षण/जांच करने का अधिकार होगा।
- 2/ उपर्युक्तानुसार शर्तों का पालन न करने पर जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(संसाधनी उद्भूत)

अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

पृ० क्रमांक- 584/985/2019/20-3
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दि० 07/7/2019

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।

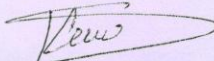
निरन्तर...3

Principal
The Foundation of
Education, Harda

Secretary
Sarswati Devi Kanwa
Sikshan Samiti, Harda

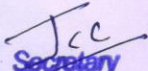
//3//

- (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
 - (3) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०
 - (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-हरदा, म०प्र०
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-The Foundation of Education, 90 एल०आई०जी० कॉलोनी हरदा, जिला-हरदा, म०प्र०
 - (7) फोल्डर प्रति
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अवर सचिव

म०प्र०शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal
The Foundation of
Education, Harda


Secretary
Sarswati Devi Karwa
Sikshan Samiti, Harda

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक- 60/1985/2019/20-3
प्रति,

भोपाल, दि 29/07/2019

सचिव
सी०बी०एस०ई०
नई दिल्ली।

विषय:- अशासकीय संस्था को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र देने वावत्।

संदर्भ:- इस विभाग को आदेश/पत्र क्रमांक-503/985/2019/20-3, दि 10.
7.2019

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश/पत्र का कृपया अवलोकन करें।

2/ निर्देशानुसार, निवेदन है कि The Foundation of Education, 90
एल०आई०जी० कॉलोनी हरदा, जिला-हरदा, म०प्र० के स्थान पर The
Foundation of Education, Ward no-34, Vikas Nagar,
Chhipaner Road, Harda, (M.P.) स्थापित किया जाय। शेष आदेश यथावत्।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

भोपाल, दि 29/07/2019

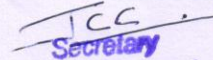
पृ० क्रमांक-602/985/2019/20-3
प्रतिलिपि:-

- (1) आयुक्त, लोक शिक्षण/राज्य शिक्षा केन्द्र, म०प्र० भोपाल।
 - (2) सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म०प्र० भोपाल।
 - (3) विशेष सहायक, मान० मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल।
 - (4) संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण संभाग, म०प्र०
 - (5) जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-हरदा, म०प्र०
 - (6) प्राचार्य, अशासकीय संस्था-The Foundation of Education,
Ward no-34, Vikas Nagar, Chhipaner Road, Harda,
(M.P.)
 - (7) फोल्डर प्रति
- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग


Principal
The Foundation of
Education, Harda


Secretary
Sarswati Devi Kanwa
Sikshan Samiti, Harda